संख्या:61/2020/1637जेएल/22-3-2020-100(38)/2018

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग3 *लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2020*

विषय: जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध 04 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20811/सामा-1(7)/पुष्पे /2020, दिनांक 21-08-2020, पत्र संख्या-20812/सामा-1(7)/कमलेश/2020, दिनांक 21-08-2020, पत्र संख्या-20813/सामा-1(7)/धर्मेन्द्र गुप्ता/2020, दिनांक 21-08-2020 एवं पत्र संख्या-20814/सामा-1(7)/अविनाश/2020, दिनांक 21-08-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध निम्नलिखित 04 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	पुष्पे सिंह पुत्र श्री ओमकार सिं	जि0का0कानपुर देहात	के0का0 नैनी, प्रयागराज
2	कमलेश उर्फ करूआ पुत्र श्री ववलेश	जि0का0कानपुर देहात	के0का0 वाराणसी
3	धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ गुनगुन पुत्र श्री भगवानदास गुप्त	जि0का0कानपुर देहात	के0का0 फतेहगढ़
4	अविनाश यादव पुत्र श्री दिनेश यादव	जि0का0कानपुर देहात	जि0का0 लखनऊ

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:61/2020/1637जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त लखनऊ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात/प्रयागराज/वाराणसी/फर्रूखाबाद/लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात/प्रयागराज/वाराणसी/फर्रूखाबाद।
6. अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार कानपुर देहात से सम्बन्धित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0शासन को उपलब्ध करायें।
7. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी/वाराणसी/फतेहगढ़ एवं वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in